महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा छिन्दवाड़ा जिले में संचालित योजनायें

जिला छिन्दवाड़ा, म0प्र0

विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का संक्षिप्त विवरण– माह अप्रैल 2010

1–समेकित बाल विकास सेवा योजना (आई.सी.डी.एस.)

छिन्दवाडा जिले में योजना वर्ष–1986 से प्रारंभ की गई । इस योजना का उद्देश्य 6 वर्ष तक के बच्चों को समुचित पूरक पांषण आहार का प्रदाय स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना, उनके मनोवैज्ञानिक, शारीरिक एवं सामाजिक विकास के लिये उचित आधार प्रदान करना, कमजोर वर्ग की गर्भवती एवं शिशुवती माताओं को आंगनवाडी के माध्यम से लाभांवित करना है । इसके लिये समन्वित रूप से निम्न सेवायें आंगनवाडी केन्द्रों में दी जाती है ।

1. पूरक पोषण आहार
2. स्वास्थ्य जांच
3. प्राथमिक स्वास्थ्य की देखभाल/सेवायें
4. टीकाकरण
5. पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा
6. स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा

इस योजना के तहत भारत शासन के मापदंडों के अनुसार ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में 1000 की जनसंख्या पर तथा आदिवासी क्षेत्रों में 700 की जनसंख्या पर आंगनवाडी केन्द्र स्थापित किये जाते है ।

2–समेकित बाल विकास परियोजनाओं में पोषण आहार की व्यवस्था :– सांझा चूल्हा कार्यक्रम के निर्देशानुसार कियान्वयन होने तक, जिले के समस्त आंगनवाड़ी केंद्रो में कियान्वित किये जाने का निर्णय लिया गया :–

क0	दिन	नाश्ता प्रात: 9.00 बजे से 10.00 बजे के बीच	भोजन दोपहर 12.00 बजे से 1.00 बजे के बीच
1	2	3	4
1	सोमवार	पौष्टिक खिचड़ी	दाल रोटी
2	मंगलवार	मीठी लाप्सी	हलवा पुड़ी
3	बुधवार	पौष्टिक खिचड़ी	दाल रोटी
4	गुरूवार	पौष्टिक खिचड़ी	दाल रोटी
5	शुक्रवार	पौष्टिक खिचड़ी	दाल रोटी
6	शनिवार	पौष्टिक खिचड़ी	दाल रोटी

3. किशोरी शक्ति योजना :–

वर्ष 2001–2002 से किशोरी बालिका योजना कमांक – 1 एवं 2 को समाप्त करते हुये किशोरी शक्ति योजना का संचालन करने के निर्देश प्राप्त हुये, जिसमें 11 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं को प्रशिक्षण दिया जाकर स्वास्थ्य की देखभाल, व्यक्तिगत स्वच्छता, स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण, छोटी–मोटी बीमारियों को इलाज, पेट के कीडों का उपचार, आयरन फोलिक ऐसिड की गोलियां उपलब्ध कराना, विटामीन ए की कमी दूर करना, एनिमिया के संबंध में समझाईश देकर सेवायें प्रदान करना है । यह योजना 14 विकासखण्डों में संचालित की गई । जिसमें विकासखण्ड/पंचायत स्तरीय प्रशिक्षण दिए जाते है।

4–महिला स्वास्थ्य योजना :– महिलाओं के स्वास्थ्य स्तर को और बेहतर बनाने के लिये निम्न योजनायें संचालित की जा रही है

1 – "लाडली लक्ष्मी योजना" :–

योजना के तहत पात्र बालिकाओं के नाम से प्रतिवर्ष 6000 रू लगातार 5 वर्षो तक कुल रू 30,000 के राष्ट्रीय बचत पत्र कय किये जायेगें ।

पात्रता:–

1. 1.1.2006 के बाद जन्मी बालिका जिसके माता पिता आयकर दाता न हो, तथा माता पिता द्वारा दो बच्चों पर परिवार नियोजन कराया गया हो एवं बालिका ऑगनबाडी में पंजीकृत हो या बालिका अनाथ हो एवं अनाथालय में रहती हो ।
2.

संशोधित निर्देश:–

1– जिस परिवार में पहली बालिका हो उस बालिका को परिवार नियोजन की शर्त के बगैर लाडली लक्ष्मी येाजना का लाभ
दिया जाये किंतु द्वितीय प्रसव पर परिवार नियोजन की शर्त यथावत रहेगी। इसी प्रकार जिस परिवार में किसी बालिका को वैधानिक रूप से दत्तक लिया है उसे प्रथम बालिका मानते हुये लाड़ली लक्ष्मी येाजना का लाभ दिया जाये।

2– जिस परिवार में अधिकतम दो संतान है तथा माता अथवा पिता की मृत्यु हो गई है उये परिवार के लिये परियार नियोजन की अनिवार्य शर्त नही होगी किंतु उसके लिये पति अथवा पत्नि की मृत्यु का प्रमाणपत्र आवश्यक होगा।

3–जिस परिवार में प्रथम बालक अथवा बालिका है तथा द्वितीय प्रसव पर दो जुडवा बच्चियां जन्म लेती हैं तो उन मामलो में जुडवा बच्चियों को भी इस योजना का लाभ दिया जायेगा।

पंजीकरण कब तक:–

1. 31.3.2008 तक या दूसरी बालिका/बालक के जन्म से एक वर्ष के अंदर (जो भी बाद में हो)

क्या मिलेगा :–

1. बेटी के कक्षा 6 में प्रवेश पर रू 2000/–
2. बेटी के कक्षा 9 में प्रवेश पर रू 4000/–
3. बेटी के कक्षा 11 में प्रवेश पर रू 7500/–
4. बेटी के कक्षा 11 एवं 12 में पढाई के समय 2 वर्ष तक रू 200/– प्रतिमाह ।
5. 21 वर्ष की होने पर शेष राशि इस तरह कुल राशि रू 1.00लाख से अधिक ।

क्या करना होगा :–

1. कक्षा 12वी की परीक्षा में तक पढाएं ।

2. 18 वर्ष के पूर्व बालिका की शादी न करें ।

छिंदवाड़ा जिले में अद्यतन स्थिति तक लाडली लक्ष्मी योजना की 21429 बालिकाओं को लाभावित किया जा चुका है।

लाड़ली लक्ष्मी योजना की वर्षवार जानकारी						
कमांक	परियोजना का नाम	वर्ष 2007–08 में लाभांवित हितग्राही	वर्ष 2008–09 में लाभांवित कुल हितग्राही	वर्ष 2009–10 में लाभांवित हितग्राही	वर्ष 2010–11 में लाभांवित हितग्राही	महा योग
1	2	3	6	7	8	9
1	शहरी छिंदवाड़ा	263	501	665	73	1502
2	ग्रामीण छिंदवाड़ा	280	846	1018	68	2212
3	बिछुआ	144	320	402	5	871
4	अमरवाड़ा	228	630	784	69	1711
5	हर्रई	201	541	613	65	1420
6	तामिया	82	301	396	44	823
7	जामई	220	776	974	41	2011
8	जामई–2				29	29
9	परासिया	386	1108	1196	80	2770
10	परासिया–2				102	102
11	पांढुणा	207	947	859	49	2062
12	सौंसर	454	794	864	61	2173
13	चौरई	330	970	795	43	2138
14	मोहखेड़	244	591	805	99	1739
	योग :–	**3039**	**8325**	**9371**	**828**	**21563**

2–आंगनवाड़ी केंद्रों में मंगल दिवस का आयोजन :–

मध्यप्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार छिंदवाड़ा जिले में महिला एंव बाल विकास विभाग अंतर्गत समस्त 12 एकीकृत बाल विकास परियोजनाओं के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में मंगल दिवस का आयोजन जा रहा है। । शासन की मंशानुसार समस्त बाल विकास परियोजना के तहत संचालित आंगनवाडी केन्द्रों के माध्यम से दी जाने वाली सेवाओं में सामुदायिक सहभागिता बढाने हेतु विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाने के निर्देश लिये गए । जिले में मंगल दिवस का अयोजन माह मार्च 2007 से किया जा रहा है:–

1. प्रथम मंगल दिवस गोद भराई कार्यक्रम :– प्रथम मंगल दिवस को समस्त आंगनवाडी केन्द्रो में गोद भराई रस्म का आयोजन किया गया गर्भवती महिला के स्वास्थय एवं उसके खान पान पर विशेष ध्यान एवं सुरक्षित प्रसव द्वारा ही महिला एवं बच्चे दानो के स्वास्थय की देखभाल की जा सकती हैं ।

2. द्वितीय मंगल दिवस अन्न प्राशन कार्यक्रम:–

अन्न–प्राशन कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चे जिसकी आयु छः माह की हो गई हैं , दूध के अलावा अन्य आहार दिया जाता हैं । इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में संचालित समस्त आंगनवाडी केन्द्रो के ऐसे बच्चे जिनकी आयु छः माह हो गई हैं उनको केन्द में उनके अभिभावक के साथ आंमत्रित किया गया ।

3. तृतीय मंगल दिवस जन्मदिवस कार्यक्रम:– आंगनवाडी केन्द्रो में बच्चो की उपस्थिति बढाने के लिए रोचक कार्यक्रम के आयोजन की रूपरेखा रखी गई , प्रायः देखा गया है की उनके जन्मदिवस व उसमें मिलने वाले तौहफे के प्रति विशेष उत्साह रहता हैं , को जन्मदिवस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में जिले में समस्त एकीकृत बाल विकास परियोजना में आंगनवाडी केन्द्रो के बच्चो का जिनका जन्म दिवस उस माह में आता हैं उन बच्चो का जन्मदिवस सामूहिक रूप से आंगनवाडी केन्द्रो में मनाया जाता है।।

5– जन्म दिवस के कार्यक्रम में बच्चों ने उत्साह पूर्वक भाग लेते है।

4. चतुर्थ मंगल दिवस किशोरी बालिका दिवस कार्यक्रम:–

छिन्दवाडा जिले के समस्त एकीकृत बाल विकास परियोजना में चतुर्थ मंगल दिवस किशोरी बालिका दिवस के रूप में आयेाजित किया जा रहा है। ग्राम के 11 वर्ष से 18 वर्ष की किशोरी बालिका को आंगनवाडी केन्द्रों की योजनाओं से जोडने के लिए उक्त दिवस का आयोजन किया जा रहा है

इन कार्यक्रमों के आयोजन से आंगनवाड़ी केंद्रो से जनसमुदाय की सहभागिता एवं बच्चो के लिये रूचिकर कार्यक्रमों के होने से एक बहुत ही अच्छा वातावरण निर्मित हुआ हैं। छिंदवाड़ा जिले में मंगल दिवस के आयोजन के लिये जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा समस्त परियोजना अधिकारियों को म0प्र0 शासन द्वारा जारी निर्देशों के तहत् कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

3. **विभागीय शासकीय संस्थायें** :–शासकीय महिला सिलाई, कढ़ाई प्रशिक्षण केन्द्र :– इस जिले में एक शासकीय सिलाई, कढाई प्रशिक्षण केन्द्र संचालित किया जा रहा है, जिसमें गरीब बेसहारा निम्न, मध्यम वर्गीय परिवार को सिलाई, कढाई का प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाया जाता है । इसमें 15 से 35 वर्ष की महिलाएं प्रशिक्षण ले सकती है , जिसमें उनकी शैक्षणिक योग्यता 5 वीं पास होना अनिवार्य है । माह जनवरी से नवम्बर तक निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है, तथा माह दिसम्बर 2008 में परीक्षा आयोजित की गई जिसमें 231 प्रशिक्षणार्थी शामिल हुए ।

4–महिला जागृति शिविर – महिलाओं को सशक्त बनाने का एक असरदार तरीका उनके हित के लिये बनाये गये कानूनों, सरकारी योजनाओं, उससे लाभ प्राप्त करने के तरीकों सामाजिक कुरीतियों से बचने और अपने बारे में सोचने समझने और कुछ करने की जानकारी देना है । महिला बाल विकास विभाग द्वारा ग्राम स्तर पर एवं विकासखण्ड स्तर पर महिला जागृति शिविर एवं महिला सम्मेलन आयोजित किये जाते है, जिसमें शासकीय योजनाओं सामाजिक कुरूतियों महिलाओ एवं बच्चों से संबंधित कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी जाती है। इन शिविरों में महिलाओं को सामाजिक कुरूतियों दूर करने, दहेज, बाल विवाह, जैसी कुप्रथाओं को समाप्त करने तथा महिलाओं के कानूनी अधिकार और उनके विकास के लिए विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों की जानकारी उन्हें उपलब्ध की जाती है। इस अवसर पर प्रदर्शिनी, लोकगीत आयोजित किए जाते है।

कमांक	आवंटन/व्यय	परियोजना का नाम	आयोजित शिविर		लाभावित हितग्राही
			शिविर	दिनांक	
1	2	3	4	5	6
1	–	–	–	–	–

5–उषा किरण योजनाः– घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा–37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बनाये गये नियम जिसे ''घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2006'' कहा गया यह नियम 26.10.2006 से लागू हुये है। यह अधिनियम/नियम महिलाओं एवं बच्चों के लिये है। यह घरेलू हिंसा के विरूद्ध संरक्षण एवं सहायता का अधिकार देता हैः–

जिनमें शारीरिक हिंसा,लैंगिक हिंसा,मौखिक हिंसा, भावनात्मक हिंसा, आर्थिक हिंसा इत्यादि सम्मिलित हैं। योजना के कियान्वयन के लिये सेवायें प्रदान करने के लिये निर्धारित संस्थायें/हेल्प डैस्क शेल्टर होम्स/हेल्पडेस्क के द्वारा दी जाने वाली सेवाएं :– इन केंद्रो/डैस्क के माध्यम से निम्न सेवायें दी जाना प्रस्तावित है :–

1–अस्थाई आश्रय, 2–कानूनी सहायता, 3–चिकित्सा सहायता ,4–पुलिस सहायता, 5–24 घंटे हेल्पलाइन जायसवाल भवन लालबाग छिंदवाड़ा दूरभाष–1092 ,6–आवश्यक प्रशिक्षण, 7–आर्थिक सहायता , विपणन व्यवस्था , आर्थिक समृद्धि , पुर्नवास , 8–सूचना बैंक।

जिले में स्वीकृत सेवाप्रदाता संस्था :–

म0प्र0शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश कमांक एफ 10–177/07/50–2 भोपाल दिनांक 28.5.09 के द्वारा निम्नलिखित संस्था को सेवा प्रदाता के रूप में पंजीकृत किया गया है :–

संस्था–सचिव, भारतीय आदिम जाति सेवक संघ शाखा–सौंसर, जिला–छिंदवाड़ा

पता– हनुमान मंदिर के पास बेलगांव, सौंसर

दूरभाष कमांक –07165–220475 , मोबाइल– 9424785141

जिले में अब तक कुल दर्ज प्रकरण–132, निराकृत प्रकरण –26 , शेष प्रकरण–106

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास
जिला छिंदवाड़ा

Last Update: - 11/05/2010